न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.

राजस्व मूलवाद संख्या –35 / 2017

वादी :–

अब्दुल गफार पुत्र अब्दुल
जबार जाति तेली
मुसलमान निवासी दाल
मील के पास पीपाड़ शहर,
तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. आसिया पत्नी गुलाबनबी
2. जाकिर पुत्र गुलाबनबी
3. इमरान पुत्र गुलाबनबी
4. जावेद पुत्र गुलाबनबी
   जातियान तेली मुसलमान
   तेलियों की नई मस्जिद दाल
   मील के पास, पीपाड़ शहर
   जिला जोधपुर
5. साबीर पुत्र गुलाब नबी जाति
   तेली मुसलमान निवासी राम
   रहीम कॉलोनी, घोसियो के
   कब्रिस्तान के पास पाली
6. जायदा पुत्री गुलाब नबी पत्नी
   बाबुजी
7. शहनाज पुत्री गुलाब नबी पत्नी
   लुकमान उर्फ खेतू जातियान
   तेली मुसलमान निवासीगण
   ग्राम खांगटा, तहसील पीपाड़
   शहर, जिला जोधपुर
8. बेबी पुत्री गुलाब नबी पत्नी
   साकीर जाति तेली मुसलमान
   निवासी दाल मील के पास,
   पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
9. नसीम पुत्री गुलाब नबी पत्नी
   नूर मोहम्मद जाति तेली
   मुसलमान निवासी ग्राम
   रणसीगांव, तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
10. गनी पुत्र गेंदू खा
11. अब्दुल करीम पुत्र गेंदू खां
12. सलीम पुत्र गेंदू खां जातियान
    तेली मुसलमान निवासीगण
    पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर
13. अब्दुल सतार पुत्र श्री अब्दुल
    जबार

14. रमजान पुत्र अब्दुल जबार
15. रिजवान पुत्र अब्दुल जबार
16. हसीना बानो पुत्री अब्दुल जबार जातियान तेली मुसलमान निवासीगण पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर
17. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :
1 श्री मंसूर अली छीपा अधिवक्ता वादी की ओर से
2 श्री उदयसिंह कच्छावाह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 13 से 16 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 23.10.2017

वकील वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया। जिसमें वादी ने मुख्य रूप से अंकन किया कि ग्राम चिरढाणी के ख.न. 537 में रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या नया 553 पर इन्द्राज है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में फूसा वल्द इब्राहिम कौम तेली निवासी पीपाड़ शहर के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी व फूसा की मत्यु होने के पश्चात वादग्रस्त आराजी का जरिये फौतेदगी नामान्तकरण में नाम इन्द्राज नही किया गया जबकि वादी ने अपने पिता अ. जब्बार का 1/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित होने व मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 13 से 16 का अ. जब्बार के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त होना बताते हुए वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा घोषणा व बंटवाड़ा का प्रस्तुत किया।

वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। जिस पर प्रतिवाद संख्या 1 से 12 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर भी न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी व प्रतिवादी संख्या 13 से 16 की ओर से वकील उदयसिंह कच्छावाह ने वकालातनाम मय जवाब प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी फूसा वल्द इब्राहीम के नाम दर्ज थी व फूसा की मृत्यु के उपरान्त गेदूं व गुलाबनबी के नाम से नामांकन संख्या 200 दिनांक 24.07.1971 को इन्द्राज कर दी गयी व फूसा के जायन्दा पुत्र अ. जब्बार का नाम इन्द्राज नही किया गया जिससे वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा में वादी

व प्रतिवादी संख्या 13 से 16 वंचित हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 16 ने वादी के साथ साथ संयुक्त रूप में वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा घोषित करने का अनुतौष चाहा।

प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से व प्रतिवादी संख्या 13 से 16 द्वारा वादी के वादपत्र का खण्डन नही करने से तनकीयात कायम नही की गयी।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किये गये जिनमें जमाबन्दी □□□-1, गिरदावरी □□□-2, ट्रेस नक्शा □□□-3, नामान्तरण संख्या 200 की प्रमाणित प्रति □□□-4 , अ. जब्बार का मृत्यु प्रमाण पत्र □□□-5, रूकिया बानू मृत्यु प्रमाण–पत्र □□□–6, अ. जब्बार पहचान पत्र □□□-7, पेश किये गये, को वादी के साक्ष्य शपथ–पत्र के साथ प्रदर्शित करवाये गये।

गवाह के रूप में स्वंय वादी अब्दुल गफार द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया गया व गवाह के रूप में वादी ने वादग्रस्त आराजी में अपने पिता अ. जब्बार के 1/3 हिस्सा में अपना 1/5 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में अपना 1/15 हिस्सा घोषित करने एवं प्रतिवादी संख्या 13 से 16 के नाम संयुक्त रूप से 4/15 हिस्सा घोषित करने व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के नाम 1/3 हिस्सा घोषित करने का अनुतोष चाहा व अपने हिस्से तक विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा।

वकील वादी द्वारा बंटवाड़ा का अनुतोष नही चाहने से वकुलाय अधिवक्ता की बहस खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली के विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी फूसा वल्द इब्राहिम के नाम से दर्ज थी व फूसा के देहान्त के बाद नामान्तरण संख्या 200 स्वीकार किया गया, उस समय फूसा के दो पुत्र गुलाबनबी व गेदूं का नाम ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया व तीसरे जायन्दा पुत्र अ. जब्बार का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही किया गया। उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में वादी के कथनों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया व प्रतिवादी संख्या 13 से 16 ने भी वादी द्वारा कथित कथनों की ताईद की हैं। न्यायालय के पास अ. जब्बार को फूसा का जायन्दा पुत्र नही मानने का कोई आधार नही है व नामान्तरण की प्रकिया संक्षिप्त प्रकिया होती है जिसमें वादी को नही सुना गया व वादी के पिता

अ. जब्बार का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही किया। केवल त्रुटिपुर्ण आधार पर भरे गये नामान्तरण के आधार पर वादी को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता। वादी त्रुटिपूर्ण रूप से इन्द्राज किये गये नामान्तरण संख्या 200 दिनांक 24.07.1971 को खारिज करवाने व अपने पिता अ. जब्बार के 1/3 हिस्से में खातेदारी घोषणा करवाने व विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने अ. जब्बार के पहचान के दस्तावेज व मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किए है जिससे भी साबित है कि अ. जब्बार फूसा का जायन्दा पुत्र है। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वादी का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 से 16 का 4/15 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा के रूप में घोषित किये जाने का निवेदन किया। वादी अधिवक्ता ने भी अपनी बहस में एतराज नही किया व संयुक्त रूप से घोषित किये जाने का कथन किया। पत्रावली के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी ने बंटवाड़ा का अनुतोष नही चाहा हैं। इसलिए वादी का वादग्रस्त आराजी में 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 से 16 का 4/15 हिस्सा को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा घोषित करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना उचित है।

अतः वादी द्वारा पेश वाद को स्वीकार किया जाता है व ग्राम चिरढाणी की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि ख.न. 537 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा में वादी को 1/15 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 13 से 16 को संयुक्त रूप से 4/15 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जता हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर को वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 13 से 16 का नाम संयुक्त रूप से नामान्तरण इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार किये गये नामान्तरण संख्या 200 दिनांक 24.07.1971 को निरस्त घोषित किया जाता है व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे। डिकी पर्चा मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखित दफ्तर हो।

(रिछपालसिंह बुरड़क)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 23.10.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रिछपालसिंह बुरड़क)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर